लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम दिये गये हैं। इसके अलावा, 20 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली 11 बृहद और 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं। 4 जिलों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य 3 बृहद और 2 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी अन्तरराज्यिक पहलुओं की दृष्टि से अन्य राज्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं।

(ग) तीन स्कीमें नामशः कोलार, हलाली तथा बुढ़ाना नाला स्कीमें योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई है। योजना आयोग का अनुमोदन अभी जारी किया जाना है। 3 अन्य परियोजनाओं के बारे में, तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश की मध्यम और बृहद् सिंचाई स्कीमें

विचाराधीन स्कीमों और उनसे लाभान्वित होने वाले जिलो के नाम

क्रम सं॰	स्कीम का नाम	लाभान्वित होने वाले जिले
1.	कोलार परियोजना (बृहद)	सीहोर
2.	हलाली (बृहद)	विदिशा और रायसेन
3.	बुढाना नाला (मध्यम)	शिवपुरी
4.	माही परियोजना (बृहद)	झाबुआ और धार।
5.	लखुदरबांध परियोजना (मध्यम)	शाजापुर।
6.	कोसरटोडा ताल परियोजना (बृहद)	बस्तर

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मध्यम सिंचाई योजना

3411. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की बाह तथा सागर नामक दो मध्यम सिंचाई योजनायें गत दो वर्षों से केन्द्र सरकार के विचाराधीन पड़ी हुई हैं;

(ख) उनको कब तक मंजूरी दे दिए जाने की आशा है; और,

(ग) इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उनके पूरा होने में संभवतः कितने वर्ष लगेंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) और (ख). प्रश्न का सम्बन्ध संभवतः मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों की बाह और सागर मध्यम सिंचाई परियोजना से है। योजना आयोग द्वारा इन परियोजनाओं को मई, 1980 में मंजूरी दी गई थी।

(ग) बाह परियोजना पर 13.98 करोड़ रुपये और सागर परियोजना पर 10.63 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों में बाह परियोजना के 7 वर्षों और सागर परियोजना के 5 वर्षों की अवधि में पूरा होने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम

3412. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979–80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के कितने कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन भेजे थे और उनमें से कितने कर्मचारियों को अब तक ऋण मिल चुका है;

(ख) शेष कर्मचारियों को कब तक ऋण मिलने की संभावना है और अब तक उन्हें ऋण न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए गत वर्ष कितनी धनराशि का प्रावधान था और चालू वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1979–80 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के नौ (9) कर्मचारियों ने गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन किया था और इनमें से सात (7) कर्मचारियों को ऋण स्वीकृत किया गया था, इनमें से छः (6) को, नियमों के अनुसार देय किस्तों के आधार पर भिन्न-भिन्न राशियां वितरित की जा चुकी हैं।

(ख) 1979–80 के दौरान, बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र और परियोजना के लिए गृह निर्माण अग्रिम हेतु किसी निधि का आवंटन नहीं किया गया था। अतः बदरपुर केन्द्र में कार्यरत दो कर्मचारियों को अग्रिम स्वीकृत करना, राष्ट्रीय ताप विद्युत्